

भूमिका

1. श्रृंखला का यह एकतालिसवां खंड 31 मार्च 2012 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं एवं ऋणों के संबंध में व्यापक आंकड़े आंकड़े प्रस्तुत करता है। ये आंकड़े और इन बैंकों के कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है। ये आंकड़े वार्षिक सांख्यिकी सर्वेक्षणों, मूसांवि (BSR)-1 और 2 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यालयों से संग्रहित किए गए हैं।
2. मूसांवि (BSR) 1 और 2 की विवरणियां नीतिगत परिवर्तनों, बैंकिंग क्षेत्र के विकास के साथ साथ विभिन्न वर्गीकरण विशेषताओं के लिए एकसमान कूट प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। अंतिम संशोधन मार्च 2008 के पिछले प्रकाशन के खंड संख्या 37 में सूचिबद्ध किए गए हैं। तदनुसार प्रकाशन के इस खंड के कुछ तालिकाओं में प्रस्तुत आंकड़े वर्ष 2008 से पहले के वर्षों के आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।
3. मूसांवि (BSR) - 1 का संबंध सकल बैंक ऋण से है जिसमें सावधि ऋण, नगद ऋण, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाए गए बिल, बाजार बिल योजना के अंतर्गत पुनः भुनाए गए बिलों के साथ-साथ बैंकों की देयताएं भी सम्मिलित हैं जहां बैंक ऋणों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुच्छेद 42(2) के तहत बैंक देयताओं और

पुनः भुनाए गए बिलों से अलग है। मूसांवि (BSR) -1 को दो भागों - भाग A और भाग B में बांटा गया है (जिसे मूसांवि - 1A और मूसांवि - 1B कहा जाता है) 1998 तक मूसांवि 1A के विवरणियों में ₹ 25,000/- के ऊपर की व्यक्तिगत ऋण-सीमा वाले खातों को सम्मिलित किया गया था। पुनः मार्च 1999 सर्वेक्षण में अंतिम ऋण सीमा में संशोधन के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मूसांवि -1A विवरणी में ₹ 0.2 मिलियन के व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले खातों को सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में पूर्व में अंतिम सीमा ₹ 25,000 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी मार्च 2002 से शुरू कर मूसांवि -1A विवरणी में खातों के वर्गीकरण के लिए अंतिम ऋण-सीमा में संशोधन कर इसे ₹ 0.2 मिलियन कर दिया गया है। मूसांवि - 1A में प्रत्येक उधार खाते के विभिन्न विशेषताओं तथा ऋण के उपयोग के स्थान (जिला और जनसंख्या समूह), खाते के प्रकार, संस्था का स्वरूप, व्यवसाय की श्रेणी, उधार कूट की श्रेणी, सुरक्षित / असुरक्षित ऋण कूट, ब्याज के स्थाई/ अस्थायी दर-फलैग, ब्याज दर, ऋण-सीमा और बकाया राशि से संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है। मूसांवि - 1B में सभा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के “₹ 25,000 तक” और “₹ 25,000 से ऊपर और ₹ 0.2 मिलियन तर” की ऋण-सीमा वाले अलग-अलग

समूहों के व्यापक व्यावसायिक वर्गों के लिए समेकित रूप में ₹ 0.2 मिलियन की व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले लघु उधार खातों से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है।

4. मूसांवि (BSR) - 2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमा-राशियों पर उनके चालू, बचत और सावधि जमाओं के अलग-अलग श्रेणियों के लिए सूचनाएं भेजता है। विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अनुसार सावधि जमाओं से संबंधित सूचना भी इस विवरणी में दी जाती है। इसके अतिरिक्त मूसांवि (BSR)-2 प्रत्येक बैंक कार्यालय के लिंग और वर्ग के आधार पर वर्गीकृत कर्मचारियों (अधिकारी, लिपिक एवं अधीनस्थ अन्य) की संख्या के संबंध में विवरणियों की संदर्भ तिथि को आधार मानकर सूचना प्रदान करता है। जमा-राशियों में अंतर-बैंक जमा सम्मिलित नहीं है। चालू जमा में (i) मांग पर वापसी वाले जमा (बचत जमाओं से इतर) अथवा 14 से कम दिनों की नोटिस पर मांग पर वापसी वाले जमा अथवा 7 से कम दिनों की परिपक्वता अवधि वाले जमा (ii) 14 दिनों के भीतर निकासी योग्य मांग जमा; (iii) अदावी जमा; (iv) अतिदेय सावधि जमा; (v) नगद ऋण में जमा शेष और ओवरड्राफ्ट खाते और (vi) यदि जमाराशि के रूप में हों तो आकस्मिकता असमायोजित खाता सम्मिलित हैं। बचत जमाराशियां वे जमाराशियां हैं जो बैंकों द्वारा बचत बैंक जमा नियमों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। सावधि जमा वे जमाराशियां हैं जो सात दिनों से कम अथवा अधिक की अवधि में

परिपक्व नहीं होते अथवा जिनके निकासी के लिए 14 दिनों से कम अवधि की नोटिस नहीं दी जाती। इनमें (a) 14 दिनों की नोटिस के बाद भुगतान योग्य जमाराशियां; (b) नगद प्रमाणपत्र; (c) संचयी या आवर्ती जमा; (d) कुरी एवं चिट जमा और (e) सावधि जमाओं के रूप में विशेष जमा सम्मिलित हैं। धारणा के अनुसार, मूसांवि (BSR) - 2 की जमाराशियों के आंकड़े और अनुच्छेद 42(2) की विवरणी में औसत जमाराशियों के आंकड़े समान है। मूसांवि (BSR)-2 में बैंक शाखाएं व्यापक ब्याज दर श्रेणियों के साथ-साथ जमा राशियों के आकार के अनुसार सावधि जमाओं का वर्गीकरण भी प्रस्तुत करते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ब्याज दर श्रेणियों के साथ-साथ जमा राशियों के आकार के अनुसार सावधि जमाओं का प्रतिशत विवरण देती तालिकाएं इस खंड में प्रस्तुत की गयी हैं। सावधि जमाओं की अवशिष्ट परिपक्वता भी इस विवरण के माध्यम से एकत्रित की जाती है; और उनका प्रतिशत विवरण इस खंड में प्रस्तुत है।

5. मार्च 2012 की अंतिम तिथि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 1,00,805 कार्यरत शाखाओं में से मूसांवि - 1A विवरणी 90,260 शाखाओं से जबकि मूसांवि - 1B विवरणी 90,312 शाखाओं से प्राप्त हुई। मूसांवि -2 में जमाराशियों के आंकड़े 96,050 कार्यालयों से प्राप्त हुए। प्रशासकीय कार्यालयों और ऋण और जमा खाताओं का परिचालन नहीं करनेवाले कार्यालयों को मूसांवि-2 केवल स्टाफ आंकड़े

देने की आवश्यकता है। गैर-रिपोर्टिंग कार्यालयों में से मूसांवि-1A, मूसांवि 1B और मूसांवि-2 के लिए क्रमशः 2199, 2425 और 1752 कार्यालयों के आंकड़े दिए गए हैं जो पिछले सर्वेक्षण चक्रों और औसत बैंक जमाओं और सकल बैंक ऋण (मूसांवि - 7) की तिमाही विवरणी में 31 मार्च 2012 को उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमानित किए गए हैं।

इस खंड की रूप-रेखा

6. इस खंड को विविध वर्गीकरण विशेषताओं के आधार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां एवं ऋण से संबंधित आंकड़ों का वितरण करते हुए पांच भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 वाणिज्यिक बैंकिंग से संबंधित सामान्य सूचनाओं के साथ-साथ अखिल भारतीय और राज्य स्तर जमा एवं ऋणों का सारांश आंकड़ा भी प्रस्तुत करता है। भाग 2 में जनसंख्या समूह और बैंक समूह के अनुसार वर्गीकृत जमाओं और बकाया ऋणों के संबंध में राज्यवार जानकारी दी गयी है। जमाओं की प्रकृति के अनुरूप जमाओं के वितरण से संबंधित आंकड़े भाग 3 में दिए गए हैं। ऋण -सीमा के आकार, ब्याज दर, संगठन का प्रकार, खाता का प्रकार, बैंक-समूह, राज्य और जनसंख्या समूह आदि विविध विशेषताओं के अनुसार बकाया ऋणों का वर्गीकरण भाग 4 में दिया गया है। पुनः ऋण-प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के अनुसार इन आंकड़ों का वर्गीकरण भाग 5 में किया गया है।

7. मू.सां.वि.-1A विवरणी ऋणराशि के उपयोग-स्थल के जिला और जनसंख्या समूह को प्रस्तुत करता है। हालांकि मू.सा.वि.-1B विवरणी में इन सूचनाओं को एकत्र नहीं किया जाता। इन अपेक्षाकृत छोटे खातों के संबंध में यह माना जाता है, कि ऋणराशि का उपयोग ऋण प्राप्ति के स्थान पर ही किया गया है। भाग 4 एवं 5 में दिया गया ऋणों पर राज्य और जनसंख्या समूह-वार आंकड़ा ऋणराशि के उपयोग के स्थान के आधार पर है जबकि भाग 2 में यह ऋण प्राप्ति के स्थान के आधार पर तैयार किया गया है। भाग 1 में जमाओं के साथ प्रस्तुत ऋणों के आंकड़े (तालिका 1.3, 1.4 और 1.5) ऋण अनुमोदन के स्थान के आधार पर जबकि अलग से प्रस्तुत (तालिका 1.10 और 1.11) किए जाने पर वे ऋणराशि के उपयोग के स्थान के आधार पर दिए गए हैं। तुलना की सुविधा के लिए तालिका 1.6 से 1.8 तक ऋणों के आंकड़े ऋण अनुमोदन के स्थान तथा ऋणराशि के उपयोग के स्थान दोनों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। ऋणराशि के अनुमोदन/ उपयोग के स्थान पर आधारित ऋण तालिकाओं की सूची “तालिकाओं पर टिप्पणियां” में भी दी गयी है। प्रकाशन की मुद्रित प्रति में प्रस्तुत आंकड़ों के अतिरिक्त CD-ROM में प्राप्त प्रकाशन क सॉफ्ट प्रति में बैंक शाखाओं की संख्या, जमा एवं ऋण और व्यवसाय के अनुसार राज्य/ जिलावर बकाया ऋणों का वर्गीकरण भी उपलब्ध कराया गया है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

8. इस प्रकाशन के विविध भागों में प्रस्तुत कुछ तालिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं।

भाग 1, तालिका 1.1 में “तालिकाओं पर टिप्पणियां” में दिए गए विवरण के अनुसार विविध स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकिंग के विकास पर एक नजर डाला गया है। विस्तृत व्यवसायों एक अनुसार बकाया ऋणों का वर्गीकरण तालिका 1.9 में दिया गया है। तालिका 1.13, 1.14 और 1.15 में ₹ 0.2 मिलियन से अधिक की व्यक्तिगत ऋण-सीमा वाले खातों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के खंडित वितरण का ब्योरा क्रमशः ब्याज दर सीमा और खातों एवं संगठन के प्रकार के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तालिका 1.16 उधारकर्ताओं के “व्यक्तिगत” और “अन्य” के विस्तृत वर्गों में तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिंगवार वर्गीकरण के अनुसार लघु उधार खातों का प्रतिशत वितरण प्रस्तुत करता है। तालिका 1.17 ₹ 0.2 मिलियन एवं उससे कम की ऋण सीमा वाले प्रत्येक लघु उधार खाते का जनसंख्या समूहवार और पेशावार वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। तालिका 1.21 से 1.23 व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों की सूचना देता है। तालिका 1.24 से 1.26 क्रमशः व्यापक स्वामित्व श्रेणी, जनसंख्या समूह और बैंक समूह के अनुसार सावधि

जमा की परिपक्वता प्रणाली (मूल) का ब्योरा देता है। तालिका 1.27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाराशियों की सूचना अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के आधार पर देता है। तालिका 1.28 सावधि जमाराशियों का ब्याज दर श्रृंखलावार प्रतिशत वितरण प्रस्तुत करता है। तालिका 1.29 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाराशियों की सूचना जमा राशियों के आकार के आधार पर देता है। तालिका 3.4 से 3.5 जनसंख्या समूह और राज्य के साथ-साथ व्यापक स्वामित्व श्रेणी के आधार पर सावधि जमाराशियों की सूचना परिपक्वता प्रणाली (मूल) के आधार पर देता है। भाग 4 की तालिका 4.1 से 4.6 और भाग 5 की तालिका 5.1 से 5.3 ₹ 0.2 मिलियन से अधिक की व्यक्तिगत ऋण-सीमा वाले खातों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विविध विशेषताओं वाले बकाया ऋणों के लघुकृत वितरण का ब्योरा देता है।

9. इस खंड में “गैर-खाद्यान्न ऋण” (खाद्यान्न खरीद के लिए प्रदत्त ऋण छोड़ के अन्य प्रदत्त कुल ऋण) का जनसंख्या समूहवार आंकड़ा दो अलग-अलग तालिकाओं - तालिका 1.3 और नवीनतम तालिका 1.6A में प्रस्तुत किया गया है।
10. इस खंड में प्रस्तुत बैंकिंग केन्द्रों के जनसंख्या समूह 2001 की जनगणना पर आधारित हैं। इस प्रकार इस खंड की तालिकाओं में प्रस्तुत जनसंख्या समूहवार आंकड़े वर्ष 2006 से पूर्व के

आंकड़ों से पूरी तरह तुलनीय हैं। जनसंख्या समूहों की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है :

- i. “ग्रामीण” समूह में 10,000 से कम जनसंख्या वाले सभी केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है।
 - ii. “अर्ध-शहरी” समूह में 10,000 और उससे ऊपर लेकिन 0.1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है।
 - iii. “शहरी” समूह में 0.1 मिलियन की जनसंख्या वाले लेकिन 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है।
 - iv. “महानगर” समूह में 1 मिलियन और अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है।
11. बैंकों को : (i) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक, (iii) विदेशी बैंक, (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (v) निजी क्षेत्र के बैंकों में समूहित किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के समूह में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (IDBI Bank Ltd) के आंकड़े भी सम्मिलित किए गए हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों का

संदर्भ भारत के पुराने और नए निजी क्षेत्र के बैंकों से हैं जिन्हें पूर्व में (2008 के प्रकाशन तक) “अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक” कहा जाता था।

12. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जमाराशियों से संबद्ध महत्वपूर्ण विशेषताओं को जिन्हें इस खंड के विविध तालिकाओं में दी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है मुख्य विशेषताओं में शामिल किया गया है।
13. निकटतम अंकों में पूर्णांकित किए जाने के कारण तालिकाओं में दिया गया योग घटक मदों के योग से पूर्णतः सुमेलित नहीं हैं। एक मिलियन की ईकाई 1,000,000 के बराबर है। इस खंड में दिए गए संकेत “—” का अर्थ “शून्य” अथवा “नगण्य” है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग का प्रतिशत बताते हैं। प्रत्येक तालिका के उपयुक्त टिप्पणियां इस खंड के अंत में दी गयी हैं।
14. बैंकिंग सांख्यिकी पर बैंक के संबद्ध प्रकाशनों के संबंध जानकारी परिशिष्ट में दी गया है।
15. यह प्रकाशन सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।
